न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक :— 24/2/2026

दमा नं. नया 504/2024

उनवान

राजूराम बनाम कमलसिंह वगै0

राजूराम पुत्र रेखाराम जाति माली नि. पौंख हाल कीरपुरा तन केड तह. गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

——वादी

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र बगडुमल
2. कमला देवी पत्नी जयभगवान जाति अहीर नि. पलामोली तह. जिला गुरूग्राम
3. दुष्यन्त कुमार पुत्र जयभगवान
4. पूजा पुत्री जयभगवान
समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीगण पलामोली तह. व जिला गुरूग्राम
5. केनरा बैंक, शाखा गुढा गौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक
6. तहसीलदार, तहसील गुढा गौड़जी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व घोषणा
निर्णय

वादी की ओर से वाद पत्र निम्नलिखित प्रकार से पेश किया गया हैः—

संक्षेप में वाद ग्राम कीरपुरा पटवार हल्का केड तह. गुढ़ा गौड़जी की सरहद में वादी व वादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर नया 307, 308 रकबा क्रमशः 0.20 .41 कुल किता 2 कुल खसरा नम्बर कुल रकबा 1.61 हैक्टर अवस्थित है। वादपत्र की धारा 1 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें 1/2 भाग वादी का तथा 4 भाग प्रतिवादी संख्या 1 का, 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का है, जिसका विधिवत ाजन नहीं हुआ है। उक्त आराजी का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है, तब तक भाग विशेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को ब्लात् कब्जा करने व निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, न प्रतिवादी 1 लगायत 4 बदमाश प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण उन्होंने बिना वादी की स्वीकृति व मति के उक्त आराजी भूमि को हडप करने के लिए प्रस्तुत भूमि में जगह जगह पत्थर डालकर कार्य कर हैं, इस बाबत वादी द्वारा दिनांक 14.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वास्तविक स्थिति नी चाही तो उन्होंने वादी को धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही नुचित, अनाधिकृत व गैर कानूनी है, जिसमें सफल होने पर वादी को असीम क्षति कारित होगी। इस बाबत ादी अपने हक व हिस्से का खाता अलग से कायम करवाना चाहता है, ताकि उसे ऋण आदि लेने में नावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वादी ने प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिए कहा तो न्कार हो गये। इस कारण वादी को वाद खाता विभाजन हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 10.03.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1760 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। ऐतराज विभाजन प्रस्ताव बाबत तहसीलदार गुढा गौड़जी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार गुढा गौड़जी से ऐतराज विभाजन प्रस्ताव के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर वादी व प्रतिवादीगणों को विधिवत नोटिस जारी किये गये। वादी वकील की बहस श्रवण की गई तथा प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पर पुनः बहस श्रवण की गई। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कीरपुरा पटवार क्षेत्र केड तहसील गुढ़ा गौड़जी की सरहद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307, 308 रकबा क्रमशः 0.20 व 1.41 कुल किता 2 खसरा नम्बर कुल रकबा 1.61 हैक्टर भूमि बाबत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1760 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान

दमा नं. : 504 / 2024 राजूराम बनाम कमलसिंह वगै0

निर्णय दिनांक : 24/2/2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 24/2/26 ... को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और ी की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम पुरा पटवार हल्का केड तहसील गुढ़ा गौड़जी की सरहद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की क्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 307, 308 रकबा क्रमशः 0.20 व 1.41 कुल किता 2 खसरा नम्बर रकबा 1.61 हैक्टर भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक ा विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 1760 दिनांक 02.06.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

ी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
म्प अर्जी दावा म्प वकालतनामा नतनामा वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर बत इजराय हुक्मनामा	2 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
ग	3	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)